

mail

!! कार्यालय:- जिला एवं सेशन न्यायाधीश, अलवर !!


क्रमांक: स्था०/2023/ 26123

दिनांक: 19 AUG 2023

- आदेश -

में, हरेन्द्र सिंह, जिला एवं सेशन न्यायाधीश, अलवर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 194 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा यह आदेश देता हूं कि जब तक कोई विशेष आदेश ना हो तब तक थाना बहरोड सदर की सीमा क्षेत्र से उद्भूत होने वाले सेशन प्रकरणों का विचारण अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, संख्या-1, बहरोड द्वारा किया जावेगा।

यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू होगा।

  
(हरेन्द्र सिंह)

जिला एवं सेशन न्यायालय,

अलवर


Mail

क्रमांक: स्था०/2023/ 26124-32

दिनांक: 19 AUG 2023

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. श्रीमान रजिस्ट्रार जनरल, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर
2. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, संख्या-1/2, बहरोड
3. अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बहरोड, एवं संख्या-1/2/3, बहरोड
4. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, बहरोड
5. अध्यक्ष, अभिभाषक संघ, बहरोड
6. सिस्टम ऑफिसर, कार्यालय हाजा को कार्यालय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

  
19-8-23  
(हरेन्द्र सिंह)

जिला एवं सेशन न्यायालय,

अलवर